भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 23
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि योजनाएं

***23. डॉ. कडियम काव्यः**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वारंगल में प्रमुख फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और खरीद की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई कवरेज सहित सिंचाई परियोजनाओं और उनकी स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत निपटाए गए फसल बीमा दावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) संकुलों के माध्यम से प्रदान की गई जैविक कृषि से संबंधित सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"कृषि योजनाएं" के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (क) से (घ) तक के संबंध में उललिखित विवरण

(क): सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की राय पर विचार करने के पश्चात्, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। अधिदेशित फसलों के एमएसपी का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है। 2024-25 (फसल वर्ष) के दौरान, वारंगल में 2.95 लाख गांठ कपास और 15.56 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।

(ख): सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य खेतों तक जल की पहुँच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना आदि है। पीएमकेएसवाई के घटकों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी (एचकेकेपी), वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) और 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (पीडीएमसी) योजना शामिल हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से देश में 'पर ड्रॉप मोर क्रोप' (पीडीएमसी) की केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक, पीडीएमसी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से, पीडीएमसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

- सरकार पीडीएमसी के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतरिक्त, कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य बजट से किसानों को टॉप-अप सब्सिडी भी प्रदान करती हैं।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित है।

दिनांक 31.10.2025 तक पीडीएमसी योजना के अंतर्गत कुल 106.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी (एचकेकेपी), का विस्तृत ब्यौरा **अनुबंध-II में** दिया गया है।

(ग): सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय को स्थायी करने आदि के लिए खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत बुआई से पहले से फसलोपरांत हानि तक व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। यह योजना राज्यों और किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। वर्ष 2024-25 के दौरान योजना की उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:

(रूपये करोड़ में)

कुल बीमित किसान आवेदन (लाख में)	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	बीमित राशि	प्रीमियम में किसानों की हिस्सेदारी	भुगतान किए गए दावे
1,514	622	2,80,629	3,335	12,256

(घ): वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में कार्यरत किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन तक एंड-टू-एंड समर्थन पर बल देती हैं। इन योजनाओं का प्राथमिक ध्यान आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है। दोनों योजनाओं को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठन के सृजन, जैविक इनपुट के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, योजना के तहत किसानों को ऑफ फार्म/ऑन फार्म जैविक इनपुट के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

31 अक्टूबर, 2025 तक, पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत कुल 16.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जिससे 28.24 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत कुल 2.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जिससे 2.70 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

अनुबंध I

"कृषि योजनाएं" के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (क) के संबंध में उललिखित विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(मार्केटिंग सीजन के अनुसार) **(₹/क्विंटल)**

क्र. सं.	वस्तुएँ	केएमएस 2025-26		क्र.सं.	रबी की फसलें	आरएमएस 2026-27
	ख़रीफ़ फसलें			15	गेहूँ	2585
1	धान (सामान्य)	2369		16	जौ	2150
	धान (ग्रेड 'ए')	2389		17	चना	5875
2	ज्वार (हाइब्रिड)	3699		18	मसूर	7000
	ज्वार (मालदंडी)	3749		19	रेपसीड और सरसों	6200
3	बाजरा	2775		20	कुसुम	6540
4	रागी	4886				
5	मक्का	2400			**वाणिज्यिक फसलें**	
6	अरहर	8000				**2025-26**
7	मूंग	8768		21	पटसन	5650
8	उड़द	7800				**2025**
9	कपास (मध्यम रेशा)	7710		22	कोपरा (मिलिंग)	11582
	कपास (लंबा रेशा)	8110			कोपरा (बॉल)	12100
10	मूंगफली	7263				
11	सूरजमुखी के बीज	7721				
12	सोयाबीन पीला	5328				
13	तिल	9846				
14	रामतिल	9537				

**केएमएस- खरीफ मार्केटिंग सीजन, आरएमएस- रबी मार्केटिंग सीजन*

अनुबंध-II

"कृषि योजनाएं" के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (ख) के संबंध में उल्लिखित विवरण

पीएमकेएसवाई- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी)

इस घटक का कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई - एआईबीपी) के तहत शेष 34.64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली वर्तमान निन्यानवे (99) बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) (और 7 चरण) को शामिल किया गया है, साथ ही इन परियोजनाओं में पर-पासू कमान क्षेत्र विकास भी शामिल किया गया है।

मार्च, 2021 के पश्चात् 5.94 लाख हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता वाले 13 नई सिंचाई परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, रेणुका जी, लखवार, शाहपुर कंडी राष्ट्रीय परियोजना और राजस्थान एवं सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग को भी पीएमकेएसवाई -एआईबीपी के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है।

वर्तमान में, पीएमकेएसवाई -एआईबीपी के तहत 70 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अप्रैल, 2016 से इस घटक के तहत सिंचाई की क्षमता का सृजन/बहाली 29.22 लाख हेक्टेयर है।

पीएमकेएसवाई - हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई -एचकेकेपी)

इस घटक का कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। चालू पीएमकेएसवाई- एआईबीपी परियोजना के लिए एचकेकेपी के कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन उप-घटक के तहत 22.21 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 से एचकेकेपी के सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुज्जीवन (आरआरआर) उप-घटकों के तहत, 5.95 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित/पुनर्जीवित की गई है।

*****